न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/89/2024	19.12.2024	15.01.2024

1–ओमकार पुत्र हरिया उर्फ हरिराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम गहनकर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

1–अनिता पत्नी सांवलराम,
2–विक्रम,
3–हनुमान पुत्रान मदनलाल
4–बिरजू पुत्र झम्मनलाल,
4–सन्तरा पत्नी मदनलाला जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम गहनकर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)
5–उपखण्ड अधिकारी तिजारा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

असल अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री चिरंजीलाल शर्मा –वकील प्रार्थी
02. श्री अब्दूल खान (कलाम) –वकील अप्रार्थी संख्या 1

——:: निर्णय ::——

प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा में विचाराधीन बअनुवानी पत्रावली अनिता बनाम विक्रम वगै0 को किसी दीगर राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किए जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी वक्त बहस उपस्थित नही हुये विद्वान वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है, कि विवादित आराजी खसरा न0 1033 रकबा 0.14 है0 वाके ग्राम गहनकर तहसील तिजारा के बाबत एक राजस्व वाद संख्या 116/2023 अनिता बनाम विक्रम अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के यहॉ विचाराधीन है। जिसमें विगत तारीख पेशी 20.12.2024 नियत थी, प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 अनिता के विरूद्व एक सिविल वाद माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश संख्या 1 तिजारा में पेश किया हुआ है, जिसमें प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीयान संख्या 1 ने फर्जी तरीके से बयनामा कराकर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का अमल दरामद करा लिया जिस फर्जी व नुमायशी बयनामा को निरस्त के बाबत पेश किया गया है, माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या 1 तिजारा द्वारा दोनो पक्षो की सुनवाई करते हुऐ वाके ग्राम गहनकर तहसील तिजारा में स्थित विवादित आराजी आराजी खसरा न0 1033 रकबा 0.14 है0 की बाबत रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये स्थगन आदेश जारी किया गया है। उक्त वाद आदिनाक भी विचाराधीन है, जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनाक 20.02.2025 नियत है। अप्रार्थीया संख्या 1 अनिता के द्वारा फर्जी व नुमायशी बयनामा के आधार पर उसके नाम आराजी खसरा न0 1033 के राजस्व रिकार्ड में आये अमल के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा में तकासमा का राजस्व वाद पेश किया हुआ है, जिसमें उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा उक्त आराजी बाबत माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या 1 तिजारा में सिविल वाद विचाराधीन होने एंव सिविल

ला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

न्यायालय के स्थगन आदेश होने के बावजूद भी अप्रार्थीया संख्या 1 से साजबाज होकर सिविल न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश की जानकारी होते हुऐ भी प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गयी, जिसमें तहसीलदार तिजारा के द्वारा भी स्थगन आदेश की परवाह किये बगैर ही कुर्रे कायमी रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा को भेज दी गयी। जबकि उक्त आराजी खसरा न0 1033 के हाल राजस्व रिकार्ड में स्थगन आदेश का नोट अंकित है। प्रार्थी को जब उक्त वाद की जानकारी हुई तो मिन प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी संख्या 5 के न्यायालय में अनिता बनाम विक्रम के वाद में आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दिवानी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें निवेदन किया गया कि उक्त खसरा नम्बर पर सिविल न्यायालय का राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश जारी है, तथा अप्रार्थीया संख्या 1 ने फर्जी तरीके से बयनामा कराकर आराजी के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का अमल दरामद कराया है, जिसका कैन्सिलेशन का वाद न्यायालय में विचाराधीन है। वर्णित आराजी में प्रार्थी का हक व हकूक निहित है, इस लिये राजस्व वाद में प्रार्थी को पक्षकार मुकदमा बनाया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जावे, या सिविल न्यायालय के स्थगन आदेश के आधार पर उक्त तकासमा की कार्यवाही को स्ऑप की जावे। अप्रार्थी संख्या 6 उपखण्ड अधिकारी तिजारा के द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दिवानी को खारिज कर दिया गया है, और राजस्व वाद में केवल 7 दिन की तारीख पेशी देकर ही सुनवाई जारी रखी और प्रार्थी को राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर में रिवीजन करने का उचित समय भी नही दिया गया तथा प्रार्थी को आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 में पारित आदेश की नकल भी दिनाक 17.12.2024 को दी गयी और उसके तुरन्त बाद ही पत्रावली में तारीख पेशी 20.12.2024 नियत कर दी गयी, जिससे अप्रार्थी संख्या 6 उपखण्ड अधिकारी तिजारा अप्रार्थीया संख्या 1 से मिलीभगत का संदेह उत्पन्न करता है, तथा प्रार्थी के खिलाफ आदेश किये जाने के लिए आमादा है, जिससे प्रार्थी के आराजी में निहित अधिकारो का हनन होगा और प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। अप्रार्थी संख्या 1 ने मिन प्रार्थी को यह धमकी दी है, कि उसकी अप्रार्थी संख्या 6 उपखण्ड अधिकारी तिजारा से सांठ–गांठ हो गयी है, और जल्द ही प्रार्थी के विरूद्व आदेश लाकर विवादित जमीन पर कब्जा करेगी और विवादित आराजी को दीगर लोगो को मुन्तकिल करेगी। मिन प्रार्थी के द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर में अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा0 दी0 के प्रार्थना पत्र में पारित आदेश की विवीजन भी की हुई है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 6 उपखण्ड अधिकारी तिजारा आनन–फालन में अप्रार्थीया संख्या 1 से मिलीभगत कर या दबाव में आकर उक्त वाद में अन्तिम निर्णय पारित करने पर उतारू है। इस लिये भी उक्त राजस्व वाद को दीगर राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीया संख्या 1 के विरूद्व प्रार्थी औमकार द्वारा माननीय सिविल न्यायालय में वाद पेश किया गया है, जो विचाराधीन है, शेष कथन गलत है। प्रार्थी ने मिन अप्रार्थीया संख्या 1 के पक्ष में दिनाक 09.11.2022 को प्रतिफल प्राप्त कर बैयनामा पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 555 पृष्ठ संख्या 155 क्रंम संख्या 2022031119103120 उप पंजियक तिजारा के समक्ष उपस्थित होकर कराया गया है, कोई धोकाधडी फर्जी तरीके से बैयनामा मिन अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थी से नही कराया गया है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्य दर्ज करते हुये न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या 1 तिजारा के यहा वाद दायर किया गया है, व दौनो वाद हेतुक अलग–अलग है। प्रार्थी ओमकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के यहा विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवान अनिता बनाम विक्रम वाद संख्या 116/2023 में पक्षकार मुकदमा है, ही नही तो उसे मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार हासिल नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 दिनाक 10.12.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा खारिज किया जा चुका है, उसके बावजूद भी प्रार्थी ओमकार द्वारा गलत तथ्यो पर दर्ज कर उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय को पेश किया गया है। प्रार्थी ओमकार द्वारा तहत अदालत के यहा उक्त वाद में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा0दी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे यह कहते हुऐ खारिज कर दिया कि प्रार्थी के विवादित आराजी बाबत हित निहित नही है, राजस्व वाद व सिविल

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा

वाद दोनो न्यायालय के वाद हेतुक अलग–अलग है, उसके बावजूद प्रार्थी ओमकार द्वारा गलत तथ्य दर्ज कर उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। यहॉ इस तथ्य का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है, कि अप्रार्थीया संख्या 1 को बेजा रूप से पेरेशान करने व न्यायालय पीठासीन अधिकारी पर दबाव बनाने की नियत से पूर्व में भी अन्य प्रतिवादीगण विक्रम व अन्य द्वारा एक मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया गया था, अनुवान विक्रम सिंह बनाम अनिता अन्य प्रार्थना पत्र संख्या 15/60/2024 जिसका निर्णय दिनाक 13.11.2024 किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। अब अन्य प्रतिवादीगण से साजबाज होकर पीठासीन अधिकारी पर दबाव बनाने की गर्ज से प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यो पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अप्रार्थीया संख्या 1 की बहस पर मनन किया। प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल के साथ संलग्न दस्तावेज/वकील अप्राथीर्या संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड से जाहिर है, कि तहत अदालत के समक्ष एक राजस्व वाद बअनुवान अनिता बनाम विक्रम वाद संख्या 116/2023 में पक्षकार मुकदमा नही है, अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार हासिल नही है। उसके बावजूद भी प्रार्थी ओमकार द्वारा गलत तथ्यो पर दर्ज कर उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय को पेश किया गया है। अप्रार्थीया संख्या 1 को बेजा रूप से पेरेशान करने व न्यायालय पीठासीन अधिकारी पर दबाव बनाने की नियत से पूर्व में भी अन्य प्रतिवादीगण विक्रम व अन्य द्वारा एक मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया गया था, अनुवान विक्रम सिंह बनाम अनिता अन्य प्रार्थना पत्र संख्या 15/60/2024 जिसका निर्णय दिनाक 13.11.2024 किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। अब पुनः अन्य प्रतिवादीगण से साजबाज होकर पीठासीन अधिकारी पर दबाव बनाने की गर्ज से प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यो पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इससे स्पष्ट है, कि तहत अदालत द्वारा विधिक प्रावधानुसार विधिवत कार्यवाही की गयी है। प्रार्थी उक्त प्रकरण को मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के आधार पर अनावश्यक विलम्ब करना चाहता है। प्रार्थी द्वारा अपने कथन की पुष्टि में कोई विधिक दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गये हैं, जिनके अभाव में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो पर विश्वास किये जाने योग्य नही है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है, निर्णय की प्रति तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी तिजारा को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)